कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सोर्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सार

31 मार्च 2019 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 668 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। इसमें 480 सरकारी कम्पनियां, 182 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा 06 सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 434 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (06 सांविधिक निगमों सहित) तथा 162 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा करता है। इस प्रतिवेदन में 72 सीपीएसई (20 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

केन्द्र सरकार का इक्विटी निवेश

434 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि केन्द्र सरकार की शेयर पूंजी में ₹4,00,909 करोड़ का इक्विटी निवेश किया था। 31 मार्च 2019 तक केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ₹1,49,150 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ₹40,370 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा 2018-19 के दौरान बकाया ऋण ₹60,699 करोड़ तक बढ़ा।

[पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2019 तक उन 54 सूचीबद्ध सरकारी सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹14,29,111 करोड़ था जिसके शेयरों को 2018-19 के दौरान विक्रय किया गया था। 31 मार्च 2019 तक 47 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (07 सहायक कम्पनियों को छोड़कर)में केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयरो का बाजार मूल्य ₹13,35.264 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

सरकारी कम्पनियों और निगमों से प्रतिफल

247 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा 2018-19 के दौरान अर्जित लाभ ₹1,77,932 करोड़ था जिसका 73 *प्रतिशत* (₹1,29,887 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोनियम, कोयला तथा लिग्नाइट तथा विद्युत में 63 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2017-18 में 225 सीपीएसई में 19.03 *प्रतिशत* की तुलना में इन 247 सीपीएसई में 2018-19 में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 18.58 *प्रतिशत* था।

[पैरा 1.3.1]

100 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹71,857 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹36,709 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में केन्द्र सरकार द्वारा कुल निवेश (₹4,00,909 करोड़) पर 9.16 *प्रतिशत* प्रतिफल का द्योतक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 13 सरकारी कम्पनियों ने ₹29,272 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 40.74 *प्रतिशत* का द्योतक है।

36 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देश का अननुपालन करने के फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्र सरकार को भुगतान किए गए लाभांश में ₹8,011.33 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.4]

157 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2018-19 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान ₹41,180 करोड़ की हानि की तुलना में 2018-19 में ₹37,310 करोड़ वहन की गई।

[पैरा 1.3.2]

निवल संपत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2019 तक ₹1,40,307.55 करोड़ की संचित हानि वाली 189 सरकारी कम्पनियां तथा निगम थे। इनमें से 77 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गईथी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2019 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹83,394.28 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान इन 77 कम्पनियों में से केवल 15 ने ₹662.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.3.3]

सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

इस रिपोर्ट में कवर किए गए 596 सीपीएसई में से 198 सीपीएसई में केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष निवेश है। 139 सीपीएसई (53 सूचीबद्ध सीपीएसई और 86 असूचीबद्ध सीपीएसई) के सम्बन्ध में आरओआरआर की 2000-01 से संगणना ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर के साथ उसकी तुलना करने के लिए की गयी है। आरओआरआर 2018-19 में 72.40 *प्रतिशत* की ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर की तुलना में 25.13 *प्रतिशत* था। आरओआरआर में 2006-07 तक बढती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी है जिसके बाद इसमें कमी होनी शुरू हो गयी और यह 2014-15 से 2018-19 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 25 *प्रतिशत* और 31 *प्रतिशत* के बीच थी।

पिछले तीन वर्षों के लिए आरओआरआर के कम्पनी वार विश्लेषण से पता चला कि जबकि सूचीबद्ध कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 58 *प्रतिशत* और 59 *प्रतिशत* के बीच आरओआरआर दिया है वहीं असूचीबद्ध सीपीएसई ने उसी अवधि के दौरान 2 *प्रतिशत* और 5 *प्रतिशत* के बीच नकारात्मक प्रतिफल दिया है।

(पैरा 1.4.4)

सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (आरओआई)

53 सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर प्रतिफल (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) की 2000-01 से संगणना इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ कानिर्धारण करने के लिए की गयी। इन 53 सीपीएसई की समेकित आरओआई (औसत वार्षिक दर) 2016-17 के दौरान 190.24 *प्रतिशत* थी, यह घटकर 2017-18 में 182.53 *प्रतिशत* और 2018-19 में 159.31 *प्रतिशत* रह गयी। इसी प्रकार आरओआई (सीएजीआर) 2016-17 में 22.91 *प्रतिशत* से घटकर 2017-18 में 21.61 *प्रतिशत* और 2018 19 में 19.86 *प्रतिशत* रह गयी। समेकित आरओआई (वार्षिक औसत दर) में 2007-08 में 469 *प्रतिशत* से 2018-19 में 159 *प्रतिशत* तक निरन्तर घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी।

(पैरा 1.4.5)

सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कम्पनियों के साथ निष्पादन

पिछले पांच वर्षों के दौरान 35 सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पांच मानदण्डो पर (आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर) समान प्रकृति के कारोबार वाली निजी कम्पनियों के साथ की गई। यह देखा गया कि कुल 35 सीपीएसई में से आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर क्रमश: 18,17,26,29 और 17 सीपीएसई उसी क्षेत्र में निजी कम्पनियों की तुलना में निम्न स्तर पर थे।

[पैरा 1.4.6]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 662 सीपीएसई में से (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) 548 सीपीएसई से समय पर अर्थात 30 सितम्बर 2019 तक वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण प्राप्त किए गए। जबकि 19 सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, 95 सीपीएसई के वित्तीय विभिन्न् कारणों से बकाया थे।

(पैरा 2.3.2)

548 सीपीएसई जिनमें वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए थे, में से 442 सीपीएसई में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

(पैरा 2.5.1)

86 सीपीएसई में तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप्, लाभप्रदत्ता और परिसंपत्तियों/देनदारियों के मूल्य में क्रमश: ₹10,184.75 करोड़ और ₹28,864.85 करोड़ का परिवर्तन हुआ।

एक सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 46 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में त्रुटियां उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियां भी जारी की गई थी।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्पूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/उत्तरदायित्व पर क्रमश: ₹2,633.93 करोड़ और ₹7,068.01 करोड़ रहा।

(पैरा 2.5.1)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखाकरण मानकों/इंड एएस के प्रावधानों से 27 सीपीएसई में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने भी 10 सीपीएसई में ऐसे विचलनों को बताया था।

(पैरा 2.6)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को देखा गया जो कि महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रबंधन पत्र के माध्मय से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 155 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थी।

(पैरा 2.7)

III. कॉरपोरेट अभिशासन

कॉपोरेट अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न् मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 55 सीपीएसई (53 सूचीबद्ध और 2 सीपीएसई जिनके बांड सूचीबद्ध हैं) को शामिल किया गया। कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, डीपीई दिशानिर्देशों, कॉपोरेट अभिशासन से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियम यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसई द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- एक सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक बोर्ड में कुल संख्या के 50 *प्रतिशत* से भी कम थी। दो सीपीएसई के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 30 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित संख्या कम थी। दो सीपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- स्वतंत्र निदेशकों ने 31 सीपीएसई में बोर्ड तथा 16 सीपीएसई में बोर्ड समिति की 80 *प्रतिशत* बैठकों में भाग नहीं लिया तथा 34 सीपीएसई में सामान्य बैठक में कुछ स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं हुए।

[पैरा 3.3.3 और 3.3.4]

- छः सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी और 20 सीपीएसई में कुछ स्वतंत्र निदेशक पृथक बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे।

[पैरा 3.3.5.1 और 3.3.5.2]

- 29 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था एवं चार सीपीएसई में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

[पैरा 3.4.1 और 3.4.2]

- स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड को छोड़कर सभी समीक्षाधीन सीपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, वहीं लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दो सीपीएसई में निर्धारित संख्या से कम थी।

[पैरा 3.5.1]

- सात सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने व्हिसल ब्लोअर क्रियाविधि की समीक्षा नहीं की।

[पैरा 3.6.9]

IV. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

10 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन समीक्षा में 82 सीपीएसई (7 महारत्न, 14 नवरत्न, 45 मिनिरत्न और 16 अन्य) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान मार्च 2019 की समाप्ति तक एक वर्ष की अवधि शामिल की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियॉ की गयी थी:

[पैरा 4.3]

- पांच सीपीएसई की (एंटरिक्ष, बीआरपीएल, आईटीआई लिमिटेड, एनएसकेएफडीसी एवं एनटीपीएल) सीएसआर समिति ने कम्पनी की सीएसआर नीति की मानीटरिंग नहीं की।

[पैरा 4.5.1.4]

- 11 सीपीएसई की वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सीएसआर योजना नहीं थी। एक सीपीएसई, एनएफडीसी को केवल जुलाई 2019 में अनुमोदित सीएसआर के लिए वार्षिक बजट मिला।

[पैरा 4.5.1.5]

- चार सीपीएसई यथा हुडको, एनएसएल, एनईईपीसीओ एवं पीएचएल द्वारा सीएसआर के प्रति निधियों का कम आवंटन हुआ।

[पैरा 4.5.2.1]

- जबकि 14 सीपीएसई ने वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर के लिए निवल लाभ के निर्धारित 2 *प्रतिशत* का पूर्णतया उपयोग किया, 30 सीपीएसई के उपयोग में कमी रही और 38 सीपीएसई ने निर्धारित राशि से अधिक खर्च किया।

[पैरा 4.5.2.3]

- आठ सीपीएसई ने वर्ष के दौरान सीएसआर की अग्रेनीत की गयी राशि खर्च नहीं की।

[पैरा 4.5.2.4]

- 2018-19 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल खर्च ₹3759 करोड़ था। पैट्रोलियम क्षेत्र ने सीएसआर के प्रति ₹1817.65 करोड़ की अधिकतम राशि खर्च की।

[पैरा 4.5.2.6 एंड 4.5.2.10]

- तीन सीपीएसई अर्थात एचसीओएल, केपीएल एवं पीएफसीएल में वर्ष 2018-19 के दौरान पांच *प्रतिशत* की उपरिव्यय सीमा अधिक हो गयी।

[पैरा 4.5.2.11]

- 39 सीपीएसई सामान्य विषय यानि स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर 60 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और 19 सीपीएसई ने नीति आयोग के अनुसार आकांक्षी जिलों को कोई प्राथमिकता नहीं दी।

[पैरा 4.5.2.12]

- स्वास्थ्य देखभाल पर ₹1310.87 करोड़ (35 *प्रतिशत*) के साथ अधिकतम जोर दिया गया उसके बाद ₹1231.21 करोड़ (33 *प्रतिशत*) के साथ शिक्षा आता था।

[पैरा 4.5.3.3]

- 33 सीपीएसई ने सीएसआर व्यय पर कोई प्रभावी निर्धारण नहीं किया।

[पैरा 4.5.4]

- आरईएमएल ने सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 9 के अनुसार सीएसआर समिति का जिम्मेदारी का विवरण शामिल नहीं किया।

[पैरा 4.5.5]

V. प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

- लेखापरीक्षा ने आठ 'महारत्न' कम्पनियों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए समझौता ज्ञापन का विश्लेषण किया।

[पैरा 5.5]

- समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में वार्षिक बजट और कारपोरेट प्लान को ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करना अधिदेशित था। उसका चार सीपीएसई द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था।

[पैरा 5.7.1.1]

- यद्यपि समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों में सीपीएसई को उनके बोर्ड पर गैर अधिकारिक निदेशकों के पदों को भरने और स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में लिस्टिंग समझौता और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता शामिल करने के लिए अधिदेशित किया गया था, तथापिचार सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के कुछ पद खाली थे।

[पैरा 5.7.2.2]

- वर्ष 2017-18 के लिए एनटीपीसी और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अनिवार्य मानदंडों के अलावा निष्पादन मापदंड में एक मापदंड मानव संसाधन प्रबंधन का था जिसमें एक लक्ष्य के रूप में 'उत्तरवर्ती योजना तैयार करना और निदेशक बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन' शामिल था। इस मानदंड के लिए दिए जाने के लिए दो अंक थे और वह तारीख जिसतक उत्कृष्ट रेटिंग के लिए एचआर आडिट के निष्कर्ष पर एचआर आडिट और बोर्ड का निर्णय प्राप्त किया जाना था, वह 30 सितम्बर 2017 थी। यह लक्ष्य 27 अक्तूबर 2017 अर्थात एनटीपीसी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख को प्राप्त किया गया परन्तु एनटीपीसी ने प्राप्ति की स्व-मूल्यांकितस्कोर की तारीख में इसे 29 सितम्बर 2017 अर्थात एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशकों और सीएमडी को प्रस्तुत करने की तारीख को बताया और उसके लिए पूर्ण अंको का दावा किया। यदि लक्ष्य प्राप्ति की वास्तविक तारीख को माना जाता है तो यह एनटीपीसी द्वारा दावा की गयी उत्कृष्ट श्रेणी के विरूद्ध है। इसके परिणाम स्वरूप समझौता ज्ञापन'बहुत अच्छा' की बजाय 'उत्कृष्ट' के रूप में ओवररेट हुआ और पीआरपी का अधिक भुगतान हुआ।

[पैरा 5.7.3.3 और 5.8]